न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48 /2022

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थी
1. गोविन्द राम पुत्र मिलावा राम जाति कम्बोज निवासी मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 8/7/.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 8/7/.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 52 एफ की पूर्व की जमाबन्दी के मुरब्बा नम्बर 11,13,48,60/21 की कुल 5.262 हेक्टैयर नहरी बारानी मय गैरमुकिन खाला भूमि वसावा राम, मिलावाराम पिसरान पटानाराम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। परन्तु चक 52 एफ के खाता संख्या 105 में वसावाराम के देहान्त के बाद वसावाराम के हिस्सा की भूमि के साथ मिलावाराम का 1/2 हिस्सा पांचो के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के पिता मिलावाराम का उक्त खाता में 1/2 हिस्सा है तथा वसावाराम के 1/2 हिस्सा में उसके चार वारिस हिस्सेदार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/97 में मिलवाराम का 1/2 हिस्सा व अन्य चार हिस्सेदार का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज करने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संम्बध में तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम -1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 52 एफ की चालू जमाबन्दी के खाता संख्या 105 में मिलावाराम पुत्र पटाना राम का 1/5 हिस्सा गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। गत जमाबन्दी सम्वत 2055 ता 58 में मिलखा राम पुत्र पटाना राम का 1/2 हिस्सा के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2059 ता 62 में मिलखाराम पुत्र पटाना राम का हिस्सा दर्ज नहीं हुआ जो कि बाद की जमाबन्दी में बहिस्साबराबर दर्ज हो गया है जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। अतः चक 52 एफ की चालू जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105 में प्रार्थी के पिता का 1/5 हिस्सा दर्ज हो गया को दुरूस्त कर 1/2 हिस्सा गत जमाबन्दी मुताबिक किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105 की प्रति, चक 52 एफ की जमाबन्दी 2059 ता 62 के खाता संख्या 93 की प्रति, चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2055 ता 58 की प्रति, शपथ पत्र प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी, के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

की कुल 5.262 हेक्टैयर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि मिलावाराम पुत्र पठानाराम 1/2 हिस्सा, प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 52 एफ की चालू जमाबन्दी के खाता संख्या 105 में मिलावाराम पुत्र पठाना राम का 1/5 हिस्सा गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। गत जमाबन्दी सम्वत 2055 ता 58 में मिलखा राम पुत्र पठाना राम का 1/2 हिस्सा के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2059 ता 62 में मिलखाराम पुत्र पठाना राम का हिस्सा दर्ज नही हुआ जो कि बाद की जमाबन्दी में बहिस्साबराबर दर्ज हो गया है जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। अतः चक 52 एफ की चालू जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105 में प्रार्थी के पिता का 1/5 हिस्सा दर्ज हो गया को दुरूस्त कर 1/2 हिस्सा गत जमाबन्दी मुताबिक किया जाना उचित है। चक 52 एफ के खाता संख्या 105 के सहकाश्तकार प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी के द्वारा सहमति शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 52 एफ के खाता संख्या 105 के मुरब्बा नम्बर 11,13,48,60/21 की कुल 5.262 हेक्टैयर नहरी बारानी मय खाला भूमि मे मिलावाराम पुत्र पठानाराम 1/2 हिस्सा, प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जाता है तो हम मिकरान को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। हम सभी मिकरान इससे सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, सहमति शपथ पत्र प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/97 के मुरब्बा नम्बर 11, 13, 48, 60/21 की कुल 5.262 हेक्टैयर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में मिलावाराम पुत्र पठानाराम 1/2 हिस्सा, प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आदेश इस आशय का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:14:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ९/१२/२२ को मेरे द्वारा लिखवाया सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर

दूरभाष न0— 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- राजस्व/2022/389 दिनांक :- 08.07.2022

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 48/2022 अनवान गोविन्द राम बनाम स्टेट राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित **निर्णय दिनांक** 08. **07.2022 संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 08. **07.2022** के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/97 के मुरब्बा नम्बर 11, 13, 48, 60/21 की कुल 5.262 हेक्टैयर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में मिलावाराम पुत्र पठानाराम 1/2 हिस्सा, प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार, बिशना देवी, राकेश रानी 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर